न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :—38/25

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि.
प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मोहन राम

• जय सिंह पुत्र रतन सिंह
राजपूतों का बास, बाँड़ा कलां, जिला जोधपुर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :— **आदेश दिनांकः—02-06-2025**

1—चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण जय सिंह पुत्र रतन सिंह व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 6,00,000/—मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **जय सिंह पुत्र रतन सिंह** की जायदाद **पटटा नम्बर 10, पटटा बुक संख्या 42, मिसल संख्या 08, ग्राम पंचायत बाड़ा कलां पचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 254.64 वर्ग गज, जिसके उत्तर में आम रास्ता व घर का मुख्य निकाल, दक्षिण में बक्साराम भाई का खेत, पूर्व में गणपुत सिंह पुत्र सुखसिंह का बाड़ा, पश्चिम में पुष्पा कवंर पत्नि स्वा. लक्ष्मणसिंह का मकान आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नामं से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति [illegible] के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 28.01.2025 तक [illegible]/— भुगतान नहीं

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.[illegible] [illegible]8:06:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15653532

करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 6,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 28.01.2025 तक 3,30,473/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **जय सिंह पुत्र रतन सिंह** की जायदाद **पटटा नम्बर 10, पटटा बुक संख्या 42, मिसल संख्या 08, ग्राम पंचायत बाड़ा कलां पचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 254.64 वर्ग गज. जिसके उत्तर में आम रास्ता व घर का मुख्य निकाल, दक्षिण में बक्साराम माई का खेत, पूर्व में गणपुत सिंह पुत्र सुखसिंह का बाड़ा, पश्चिम में पुष्पा कवंर पत्नि स्वा. लक्ष्मणसिंह का मकान आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 02-06-2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.0_ _8:06:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15653532